

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3163
दिनांक 07 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

बिजली की मांग

†3163. श्री वी. के. श्रीकंदन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 2026-27 तक केरल की अधिकतम बिजली मांग 7,000 मेगावाट से अधिक होने की संभावना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग के कारण देश भर में बिजली की मांग बढ़ी है और यह उम्मीद की जा रही है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग के कारण बिजली की मांग में काफी वृद्धि हो सकती है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इलेक्ट्रिक वाहनों में वृद्धि के कारण बिजली की बढ़ती मांग से बिजली की कमी हो सकती है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित 20वें विद्युत शक्ति सर्वेक्षण (ईपीएस) रिपोर्ट की मध्यावधि समीक्षा के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 तक केरल की अनुमानित अधिकतम मांग 6,022 मेगावाट होने का अनुमान है।

(ख) से (घ) : देश में विद्युत की मांग में कई कारकों के कारण वृद्धि हुई है, जैसे कि तीव्र आर्थिक विकास, घरेलू विद्युतीकरण का विस्तार, बढ़ता शहरीकरण, जीवन स्तर में वृद्धि और एयर कंडीशनर तथा इलेक्ट्रिक वाहनों जैसी ऊर्जा-गहन तकनीकों का बढ़ता उपयोग।

20वें ईपीएस की मध्यावधि समीक्षा के अनुसार, वित्त वर्ष 2031-32 तक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग के कारण विद्युत की मांग 63,651 मिलियन यूनिट (अनुमानित कुल मांग का लगभग

2.35%) होने का अनुमान है। देश में विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन क्षमता की योजना बनाई गई है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग भी शामिल है।

जून, 2025 तक देश में संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 485 गीगावाट है। मई, 2023 में प्रकाशित राष्ट्रीय विद्युत योजना (उत्पादन) के अनुसार, देश की संस्थापित उत्पादन क्षमता वर्ष 2031-32 तक लगभग 870 गीगावाट तक बढ़ने की संभावना है। भारत सरकार ने देश की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- (i) वर्ष 2034-35 तक अनुमानित तापीय (कोयला और लिग्नाइट) क्षमता की आवश्यकता लगभग 3,07,000 मेगावाट होने का अनुमान है, जबकि दिनांक 31.03.2023 तक संस्थापित क्षमता 2,11,855 मेगावाट है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने न्यूनतम 97,000 मेगावाट अतिरिक्त कोयला और लिग्नाइट आधारित तापीय क्षमता संस्थापित करने की परिकल्पना की है।

अप्रैल 2023 से जून 2025 तक लगभग 11,680 मेगावाट की तापीय क्षमताएँ पहले ही शुरू हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, 38,935 मेगावाट (5,695 मेगावाट की संकटग्रस्त तापीय विद्युत परियोजनाओं सहित) तापीय क्षमता वर्तमान में निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2024-25 में 15,440 मेगावाट तापीय क्षमता के लिए अनुबंध अवार्ड किए जा चुके हैं और इनका निर्माण कार्य पूरा होना है। देश में अनुमानित माँग को पूरा करने के लिए, 35,460 मेगावाट कोयला और लिग्नाइट आधारित संभावित क्षमता की पहचान की गई है, जो देश में नियोजन के विभिन्न चरणों में है।

- (ii) 13,463.5 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, 9,802 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाएँ नियोजन के विभिन्न चरणों में हैं और इन्हें वर्ष 2031-32 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
- (iii) 6,600 मेगावाट परमाणु क्षमता निर्माणाधीन है और इसे 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 7,000 मेगावाट परमाणु क्षमता नियोजन और अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है।
- (iv) 74,150 मेगावाट सौर, 30,080 मेगावाट पवन और 53,750 मेगावाट हाइब्रिड ऊर्जा सहित 1,58,450 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता निर्माणाधीन है, जबकि 46,010 मेगावाट सौर और 15,990 मेगावाट हाइब्रिड ऊर्जा सहित 62,000 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता नियोजन के विभिन्न चरणों में है और इसे वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
- (v) ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में, 8,250 मेगावाट/49,500 मेगावाट घंटा पंप भंडारण परियोजनाएँ (पीएसपी) निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा, कुल 5,780 मेगावाट/34,680 मेगावाट घंटा क्षमता की पंप भंडारण परियोजनाएँ (पीएसपी) स्वीकृत हैं और अभी निर्माण कार्य शुरू किया जाना है। इनमें से 3,500 मेगावाट/21,000 मेगावाट घंटा क्षमता की पंप भंडारण परियोजनाएँ (पीएसपी) बोली प्रक्रिया में हैं और 15,829 मेगावाट/51,106 मेगावाट घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) वर्तमान में निर्माण/बोली प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं।
